

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/27/2024

श्री तेजसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी रूदावल, तहसील रूदावल जिला
भरतपुर मो.नं. 9549339360

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रूदावल

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 26.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त श्री तेजसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रूदावल के विरुद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/387 दिनांक 07.06.2024 से लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूदावल से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।



जिला कलक्टर
भरतपुर

2.....

(2)

आरटीआई/अपील/2024/27
तेजसिंह बनाम तहसीलदार रुदावल

अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुदावल से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुदावल को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुदावल को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर